राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय एंव तृतीय तल
डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
फोन:– 0141–2705483 फैक्स:– 0141–2701822

क्रमांक:– रास्कूशिप–जय/यू–डाइस/2023–24/ 6100 दिनांक:–17/10/2023

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा,
समस्त जिले।

विषयः विद्यालयों हेतु नवीन यू–डाइस आवंटन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एकीकृत ज़िला शिक्षा सूचना प्रणाली (Unified-District Information System for Education) भारत सरकार के द्वारा विकसित प्रणाली है, जिसमें राज्य के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक (राजकीय/गैर–राजकीय) विद्यालयों की समस्त प्रकार शैक्षिक सूचनाओं को संकलित कर कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस का निर्माण किया जाता है।

यू–डाइस का संकलन वर्ष 2018–19 से ऑन लाईन पोर्टल http://udiseplus.gov.in के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2023–24 का यू–डाइस द्वारा सूचना संकलन उपरोक्त वेब पोर्टल पर किया जायेगा। इस पोर्टल पर पूर्व में पंजीकृत विद्यालय पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध Know Your School लिंक द्वारा अपने यू–डाइस कोड की जानकारी प्राप्त कर सकते है। ऐसे विद्यालय जो कि उपरोक्त पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है। वे निम्न प्रक्रिया द्वारा अपना यू–डाइस कोड प्राप्त कर सकेंगे–

नवीन यू–डाइस आवंटन की प्रक्रिया

विद्यालय द्वारा किये जाने वाला कार्य–

1. सर्व प्रथम विद्यालय जिसको यू–डाइस कोड आवंटन करवाना है, उपरोक्त लिंक द्वारा अपना विद्यालय सर्च कर सुनिश्चित कर लेवें कि विद्यालय को पूर्व मे यू–डाईस कोड आवंटित नहीं किया गया है। (यदि पूर्व में विद्यालय को यू–डाइस कोड आंवटित था और वह विद्यालय बन्द/मर्ज हो गया एवं इस वर्ष पुनः विद्यालय चालु/डी–मर्ज होने की स्थिति में पूराने यू–डाइस कोड का आंवटन हो जायेगा। इस हेतु विद्यालय को पुनः चालू/डी–मर्ज विद्यालय के आदेश की प्रति को फार्म A01 के साथ सलग्न कर **मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय** में जमा/अपलोड करवाया जाना होगा।)
2. यू–डाइस कोड आवंटित नहीं होने की स्थिति में पत्र के साथ संलग्न यू–डाइस आवंटन प्रपत्र में आवश्यक सूचनाऐं अंकित करें। प्रपत्र के साथ अपने विद्यालय की मान्यता की प्रति संलग्न करें। प्रपत्र व मान्यता की प्रति सहित विद्यालय के संस्था प्रधान/उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा स्व–हस्ताक्षरित व विद्यालय सील सहित प्रार्थना–पत्र मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से प्रमाणित करायें।
3. प्रमाणित आवेदन प्रपत्र मान्यता की कॉपी सहित सम्बन्धित अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा कार्यालय के यू–डाइस शाखा में जमा करायें।
4. यह ध्यान रहें कि प्रपत्र के सभी कॉलम में अनिवार्य रूप से सूचनाऐं अंकित होनी चाहिए। अधूरे भरे हुए प्रपत्र से यू–डाइस कोड का आवंटन नहीं हो सकेगा।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा किये जाने वाला कार्य–

1. विद्यालय द्वारा यू–डाइस आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र को प्रमाणित करने से पूर्व जांच कर लेवें कि पूर्व में विद्यालय को यू–डाइस कोड आवंटित तो नहीं हुआ है। यदि नहीं है तो पूर्ण भरा हुआ प्रपत्र संलग्न दस्तावेज सहित प्रमाणित कर सम्बन्धित अतिरिक्त जिला परियोजना समन्व्यक समग्र शिक्षा कार्यालय को प्रेषित करें एवं एक प्रति अपने कार्यालय में सुरक्षित रखें। यह ध्यान रहें कि प्रपत्र के सभी कॉलम में अनिवार्य रूप से सूचनाऐं अंकित होनी चाहिए। अधूरे भरे हुए प्रपत्र से यू–डाइस का आवंटन नहीं हो सकेगा। (यदि पूर्व में विद्यालय को यू–डाइस कोड आवंटित था और वह विद्यालय बन्द/मर्ज हो गया एवं इस वर्ष पुनः विद्यालय चालु/डी–मर्ज होने की स्थिति में पूराने यू–डाइस कोड का आंवटन किया जायेगा। इस हेतु विद्यालय को पुनः चालू/डी–मर्ज विद्य

Signature valid
Digitally signed by
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.17 16:57:21 IST
Reason: Approved

लय के आदेश की प्रति को फार्म A01 के साथ सलग्न ली जाकर ब्लॉक लॉगिन से http://udiseplus.gov.in पोर्टल पर अपलोड करवाया जायेगा।)

2. प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना संकलन हेतु एक रजिस्टर भी संधारित करें।

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा किये जाने वाला कार्य–

1. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रमाणित यू–डाइस आवंटन प्रपत्र पूर्ण भरा हुआ संलग्न दस्तावेज सहित प्राप्त होने पर प्राप्ति दिनांक को ही यू–डाइस पोर्टल पर UDISE+ School Management लिंक (http://udiseplus.gov.in/UD/home) के माध्यम से जिला एमआईएस लॉगिन व पासवर्ड द्वारा अपलोड करें। जिला एमआईएस प्रभारी के लिए यूजर–गाइड पत्र के साथ प्रेषित की जा रही है।
2. ऐसे विद्यालय इस वर्ष पुनः चालु/डी–मर्ज हो गये है, ब्लॉक से अपलोड किये गये दस्तावेज के आधार पर विद्यालय को पुनः चालु/डी–मर्ज करने हेतु उनकी Request को राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाना है।
3. जिला एमआईएस प्रभारी नवीन यू–डाइस कोड आवंटन प्रपत्र ऑन लाइन करने से पूर्व आवश्यक रूप से जांच लें कि विद्यालय को पूर्व में यू–डाइस कोड आवंटित तो नहीं है।
4. प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना संकलन हेतु एक रजिस्टर भी संधारित करें।
5. लॉगिन के उपरान्त Create School लिंक द्वारा प्राप्त ऑनलाईन प्रपत्र में सूचनाऐं अंकित कर प्रमाणित प्रपत्र व संलग्न दस्तावेजों की एक पीडीएफ फाइल बनाकर अपलोड करें।
6. राज्य कार्यालय के वेरिफिकेशन के उपरान्त शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा नवीन यू–डाइस कोड को आवंटित किया जायेगा।
7. यू–डाइस आवंटन की स्थिति जिला एमआईएस प्रभारी अपने लॉगिन से प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा द्वारा किये जाने वाला कार्य–

1. यू–डाइस आवंटन प्रक्रिया की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करें तथा सुनिश्चित करें कि सभी कार्य परिषद् द्वारा जारी टाइम–लाइन अनुसार सम्पादित किये जायें।

(डॉ. टी शुभमंगला)
राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान।
5. निदेशक, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
6. निदेशक, जनजाति क्षेत्रीय विकास, उदयपुर।
7. सचिव, मदरसा बोर्ड राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (प्रथम/द्वितीय), रास्कूशि परिषद्, जयपुर।
9. नियंत्रक वित्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने क्षेत्र के समस्त विद्यालयों की प्रकिया अनुसार यू–डाइस कोड समस्त ब्लॉक आवंटित करवाना सुनिश्चित करें।
11. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
12. संस्था प्रधान, समस्त राजकीय व निजी विद्यालय।
13. प्रोग्रामर/प्रभारी अधिकारी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर को यू–डाइस आवेदन प्रपत्र समसा एवं प्राइवेट स्कूल पोर्टल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.17 16:57:21 IST
Reason: Approved